ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण, स्वरूप एवं निदान

सरिता कुमारी

शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग
बी. आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

सारांश : इस शोध–पत्र में मैंने महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न, उनके कारण, उत्पीड़न के विभिन्न स्वरूप एवं इससे निदान की चर्चा की है। जब कभी महिलाओं के सन्दर्भ में हिंसा की बात की जाती है तो इस क्रम में हमारा आशय फकत शारीरिक हिंसा तक ही सीमित होता है पर महिलाओं के मन और अंर्तमन को आहत करती हिंसा का उनके दिलों–दिमाग पर कितना गहन, गंभीर व स्थायी दुष्प्रभाव पड़ता है इस ओर प्रायः लोगों का ध्यान नहीं जाता। महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यन्त्रणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। यद्यपि सामाजिक विधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलायें अन्य कई देशों की महिलाओं से कहीं आगे हैं किन्तु महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी मन्द अव्यवस्थित एवं असंगत रही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से वे पुरूषों से काफी पीछे है। न केवल काम में उनके साथ भेद–भाव किया जाता है अपितु प्रत्येक क्षेत्र में उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। घर में तो उनकी स्थिति और भी खराब है। उनके साथ बदतर व्यवहार के अलावा विविध प्रकार के दुर्व्यवहार भी किये जाते हैं। उनका उपदास करना, सताया जाना व आतंकित किया जाना, कभी–कभी मारा–पीटा जाना तथा यदाकदा जलाकर मार दिया जाना स्पष्ट करते हैं कि वे प्रत्येक भूमिका में शिकार होती है किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि न तो अपराधिक हिंसा सम्बन्धी साहित्य और न ही सामाजिक समस्याओं की पुस्तकों में अपराधों एवं हिंसा की शिकार महिलाओं के विषय में कुछ उल्लेखनीय लिखा गया है। उदासी एवं उपेक्षा के कारण यह हो सकते हैं कि प्रथमतः यह सर्वमान्य है कि पुरूष अपने को महिलाओं की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते है जिसके कारण महिलाओं के प्रति की गई हिंसा को हिंसा की दृष्टि से नहीं देखा जाता और दूसरे महिलायें स्वयं अपने धार्मिक मूल्यों एवं सामाजिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्रति की गई हिंसा से इंकार कर देती है।

शब्द–कुंजी – महिला उत्पीड़न, पारिवारिक जीवन, घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार, भारतीय कानून।

उत्पीड़न सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कार्य अथवा व्यवहार है, जिसमें दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुँचता हो, दुसरे शब्दों में यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गये कार्यों या व्यवहारों के कष्ट, तकलीफ या परेशानी अनुभव करता है और जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो इसको हम उत्पीड़न के अर्थ में समझते है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क व भावनाओं का दमन तथा दुख–दर्द, क्लेश और अभाग्य द्वारा उस पर दबाव की स्थिति, परेाान करने या पीड़ित करने की भावना, अपने अधीन या आश्रित के साथ अनुचित व निर्दयी व्यवहार, गलत व कठोर तरीके से सत्ता व शक्ति का प्रयोग, बलपूर्वक दबाने या रोकने की क्रिया तथा एक महिला का बलपूर्वक दबाने या रोकने की क्रिया तथा एक महिला का बलपूर्वक उत्पीड़न यथा बलात्कार आदि। उत्पीड़न को विविध संदर्भों में भी समझा जा सकता है यथा भेदभाव, हिंसा, क्रूरता, शोषण, क्लेश देना या पीड़ा पहुँचाना, छेड़छाड़ या हमला करना, निर्दयता, कठोरता तथा अत्यधिक दुःख के रूप में प्रयुक्त किया गया है। उत्पीड़न एक या कुछ महिलाओं का उत्पीड़न नहीं है वरन् यह सदियों से पीड़ित, शोषित और अपमानित उस वर्ग से सम्बन्धित हैं जिसे सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य होने के बाद भी लैंगिक आधार पर द्वितीय दर्जे का माना जाता है दूसरे निरन्तर निर्योग्यताओं, प्रताड़ना और शोषण को सहन करते रहने के कारण वे सभी स्थितियाँ नारी के प्रति समाज सम्मत व वैध ठहराई गई। फलतः अनेकानेक स्थितियाँ, व्यवहार और क्रियाएँ जो कि उत्पीड़न को परिभाषित कर सकती थी, महिलाओं के सन्दर्भ में वे व्यावहारिक, नैतिक अथवा प्राकृतिक मान ली गईं। दूसरे शब्दों में यदि एक महिला को किसी व्यक्ति द्वारा अकारण ही जानबूझ कर ज्ञातव्य तरीके से केवल उसके स्त्री होने व शक्तिहीन रहने के कारण कोई भी शारीरिक, मानसिक क्षति पहुँचायी जा रही है और जिसकी पीड़ा अप्रत्यक्षः अनुभूत की जा सकती हो तब उस व्यक्ति का कार्य व्यवहार निश्चित ही उत्पीड़क माना जायेगा। भले ही उत्पीड़क स्वयं उस व्यवहार को उत्पीड़न के रूप में महसूस न करें

लेकिन अन्य व्यक्ति महिला के साथ हुए व्यवहार के उत्पीड़क होने की पुष्टि करते है, तब भी प्रस्तुत है, तब भी प्रस्तुत व्यवहार को उत्पीड़क व्यवहार तथा महिला की स्थिति को उत्पीड़न की स्थिति माना जायेगा। समुदाय, समूह अथवा स्थापित व्यवस्था में अंतःक्रिया, अन्तःसम्बन्धों व सामाजिक कार्य व्यवहार के दौरान एक महिला के प्रति किसी व्यक्ति अथवा कई व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाने वाला कार्य व्यवहार अथवा आचरण तभी उत्पीड़न माना जा सकता है जबकि उससे संदर्भित महिला उस व्यवहार व आचरण को स्वयं उत्पीड़न के रूप में स्वीकार करे अथवा अनुभूत करें।

सवाल यह उठता है कि वह हिंसा के कौन–कौन से प्रकार है जो एक नारी के मन और अन्तर्मन को आहत करते हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दो वर्ष में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इन अपराधों में अपहरण, दहेज हत्या, मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल है।

विभिन्न समाज सुधारकों एवं विचारकों ने यह स्पष्ट किया है कि हर शोषण के पीछे आर्थिक कारणों का उतना ही प्रबल हाथ होता है जितना सामाजिक और पारस्परिक कारणों का। नारी पर सदियों से हो रहे अत्याचारों के मूल में नारी को बन्धक बनाने वाले कारणों में मुख्य कारण उसकी आर्थिक पराधीनता रही है, उसे घर की चारदीवारी में शिक्षा, विचार, व्यवहार, भ्रमण और रूचियों से काटकर पारिवारिक जनों के सेवार्थ बन्दी बना कर रखा गया था। परिणामस्वरूप उसकी बुद्धि का विकास अवरूद्ध हो गया और वह पूरी तरह से पुरूष पर आश्रित हो गयी।

स्त्री पुरूष की अपेक्षा स्त्री द्वारा कहीं अधिक शोषित है। निःसंदेह पुरूषों के बनाए नियमों के फलस्वरूप स्त्री की यह दशा है। इस तथ्य पर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। किन्तु किसी भी रोग का निदान करने के लिये उसके मूल कारणों की अपेक्षा उसके वर्तमान लक्षणों व उनसे उत्पन्न हानियों – विकृतियों को ही पहले ध्यान में लाना होता है।

महिला उत्पीड़न के कारण

भारतीय समाज में नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। यही देवी समाज द्वारा उत्पीड़ित की जाती है महिला उत्पीड़न भारतीय समाज की एक गम्भीर समस्या है। किन्तु उत्पीड़न क्यों किया जाता है, महिलाओ को उत्पीड़ित अथवा महिलाओं के साथ हिसांत्सक व्यवहार के निम्नलिखित कारण है–

1. जिसमें मुख्य कारण दहेज है।
2. व्यक्तिगत कारण–इनमें शारीरिक कारण, कुरूपता, सन्तान जन्म न होना, पुत्र जन्म न होना, व्यसनी होना, अशिक्षा है।
3. मनोवैज्ञानिक कारण इनमें तनाव, डिप्रेशन, पुरूषवादी सोच, असफलता है।
4. व्यक्ति का परिवेश–इनमें सांस्कृतिक भिन्नता, जीवन शैली की भिन्नता, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कलेश युक्त वातावरण आदि है।
5. प्रतिशोध की भावना–तंग करना, बुरा व्यवहार, अपमानित करना आदि है।
6. आर्थिक व सामाजिक कारण–इनमें बेरोजगारी, गरीबी तथा आर्थिक निर्भरता, दोहरे मापदण्ड, स्त्रियो की निम्न दशा है।

भारतीय समाज में कई ऐसी परपंराए हैं जो अपनी विकृति के कारण आज अभिशाप बन गयी है। दहेज भी ऐसी कुरीति है, जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियां उसकी बलिदेवी पर चढ़ जाती हैं। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें प्राचीनकाल से ही सभी पिता अपनी पूरी सामर्थ्य से अधिकाधिक धन, वस्तुएं आदि अपनी नवविवाहिता पुत्री को उपहार स्वरूप देते आयें है, ताकि उसका भावी जीवन समृद्धशाली हो सकें। उपहार के रूप में शुरू हुई दहेज की यह परम्परा आज एक अनिवर्यता बन गयी है। वर पक्ष द्वारा जितना दहेज वधु से मांगा जाता है उस मांग के अनुसार दहेज न मिलना या उसमें कमी होने की वजह से महिला को प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग जितनी अधिक दहेज की मांग करते है उससे अधिक पाने की लालसा रखते है। जब उनकी आशा के अनुरूप उन्हे दहेज नही मिल पाता है तब वे वधु के साथ दुर्व्यवहार करते है। इसके अतिरिक्त हर छोटे–छोटे अवसरों व त्योहारों पर वधु पक्ष के यहां से उपहारों की आशा करते है, पर वधु पक्ष रकम जुटाने में असमर्थ होते है। तब वधु ससुराल द्वारा प्रताड़ित की जाती है। विवाह पश्चात वधु को दहेज के लिये विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि दहेज रूपी दानव महिला के उत्पीड़न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण घरेलू हिंसा मे वृद्वि होती है।

अधिकतर व्यक्तियों की अब कुछ न कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है यदि पत्नी कुछ व्यक्तिगत समस्या से पीड़ित होती है तो इसके लिये प्रतिदिन महिला को दोषी ठहराया जाता है तथा उसे प्रताड़ित किया जाता है यदि पति भी किसी व्यक्तिगत समस्या से ग्रस्त होता है तो भी इसका दोष पत्नी पर थोपा जाता है और उसे उत्पीड़ित किया जाता है कुछ व्यक्तिगत कारणों का विवरण निम्नलिखित है–

शारीरिक अपंगता भी महिला के उत्पीड़न का मुख्य कारण है यदि पति जन्मजात या विवाह पश्चात किसी दुर्घटना के कारण अपंग हो जाता है तो उसकी अपंगता उसमें खीज उत्पन्न करती है वह अपने आप को परिवार में बाझे मानने लगता है बाझे बनने की मजबूरी, तथा परिवार परिवार के सदस्यों की दया या मजबूरी में झेलने के व्यवहार से उत्पन्न खीज को वह पत्नी, बच्चो तथा परिवार के अन्य सदस्यो को शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करके निकालता है। इसके विपरीत यदि पत्नी शारीरिक रूप से अपंग है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। वह पत्नी को भावत्मक, संवेगात्मक संरक्षण देने के बजाय उसे उसकी अपंगता का जिम्मेदार मानता है और उसे तरह–तरह के ताने देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। उसका जीवन नरकमय बना देता है जबकि पत्नी अपने पति का साथ हर स्थिति में हर समय देती है। महिला का सुन्दर न होना भी घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है। यदि पत्नी सुन्दर नही है तो पति तथा परिवार के अन्य सदस्य उसको उसके रूप रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाते है, उसे परेशान करते है तथा व्यंग्य करते है। इसके विपरीत यदि पत्नी पति से अधिक सुन्दर होती है तो पति को या ससुराल के अन्य सदस्यों को उससे ईर्ष्या हो जाती है। वह अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिये वह उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है। जिसमें वह तनावग्रस्त रहने लगती है। फलस्वरूप घरेलू हिंसा में उत्पन्न होती है।

यदि किसी महिला के केवल पुत्रियां ही जन्म लेती है और पुत्र का जन्म न होने का कारण वह महिला को मानते है। किसी न किसी रूप में उसको ताना देते है, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है, तथा उसके जीवन की परवाह किये बगैर बार बार उसे सन्तान जन्म के लिये कहते है। कभी–कभी तो उसे घर से ही निकाल देते है तथा गुपचुप अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देते है। शराब भी पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है। नशे में वह दुर्व्यवहार करता है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नही रहता है, वह हर छोटी–छोटी बात पर झगड़ा करता है तथा झगड़ा करना मारना–पीटना उसकी आदत बन जाती है। वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पत्नी से पैसे जेवर या घर अन्य समान को मांगता है ताकि उन्हें बेचकर वह शराब खरीद सके परन्तु पत्नी द्वारा इन्कार करने पर वह उसे मारता पीटता है, गाली गलौच करता है तथा अन्य प्रकार से यातनाएं देकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित करता है।

अशिक्षा भी पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है यदि पत्नी कम पढ़ी–लिखी या अशिक्षित है तो पति तथा ससुराल के अन्य सदस्य उससे नौकर जैसा व्यवहार करते है, उसे हीनता की दृष्टि से देते है। पति तथा परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ कही भी आने जाने में, अपने मित्रों से मिलाने में शर्म महसूस करते है। उसे हर समय अशिक्षित होने का ताना देते है मन्द बुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख आदि शब्दों से बुलाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अनेक विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कारणों से भी घरेलू हिंसा उत्पन्न होती है।

निदान –

N.G.O द्वारा किए जा रहे प्रयास – वर्तमान में घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण गम्भीर सामाजिक समस्या है। यदि इस गम्भीर समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो परिणाम बहुत घातक सिद्व होंगे। ऐसा नहीं है कि इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिये प्रयास नहीं किये गये इस ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी सगंठनो द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किये जाने में अनेक समाज सेवी कल्याणकारी संस्थाए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओ के अधिकारों के लिये आगे आ रही है। ऐसी संस्थाएं प्रताड़ित महिला को इन्साफ दिलाने के लिये आन्दोलन करती है हर सम्भव प्रयास कर महिला को न्याय दिलाती है जो संस्थाए महिला के उत्थान के लिए कार्यरत है वे निम्न है–

1. आखिल भारतीय महिला परिषद :– यह महिलाओ के लिये एक आश्रय गृह है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओ को यहाँ आश्रय दिया जाता है।

2. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन :– जो महिलाएं दहेज के लिये प्रताड़ित की जाती है उन महिलाओ की यह संस्था हर सम्भव मदद करती है।

3. प्रयास :– काइसिस इन्टरवेन्शन सेन्टर दिल्ली पुलिस, दिल्ली महिला आयोग, सेन्ट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड:–यह आपसी मतभेद तथा पारिवारिक हिंसा से पीड़ित महिलाओ की मदद करती है।

4. प्रतिथि :– एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट का एक सराहनीय प्रयास। पारिवारिक प्रताड़नाओ से पीड़ित महिलाओं की मदद भरपूर करती है।

5. चेतना वले फेयर सोसाइटी :– यह सास–बहू के झगड़े, पति पत्नी की आपसी अनबन व घरेलू हिंसा से सम्बन्धित समस्याओ को सुलझाने में सदैव तत्पर रहती है।

6. शक्तिशालिनी :– दहजे के झगड़े, आर्थिक तंगी के कारण तनाव से सम्बन्धित समस्याओ को सुलझाने व घरेलू हिंसा को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयास करती है।

7. नव ज्योति दिल्ली पुलिस फाउनडेशन :– इसमें फैमली काउंसिलिग की जाती है और काउंसिलिंग के द्वारा घरेलू समस्याओं का निदान किया जाता है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास :– किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाना, कष्ट पहुँचाना ही अपराध नहीं है कुछ अपराध ऐसे भी होते है जिनमें व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट न पहुँचाकर उसे मानसिक रूप से कष्ट पहुँचाया जाता है, उसे भावनात्मक रूप से तंग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों से महिला का व्यक्तित्व तो प्रभावित होता है लेकिन शारीरिक रूप से उसे चोट नहीं पहुँचती है। यदि किसी महिला को सार्वजनिक रूप से चरित्रहीन कह दिया जायें तो इससे उसे कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचती है लेकिन उसे मानसिक आघात लगता है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है इसलिये ऐसा व्यवहार अपराधिक कुकृत्य की श्रेणी में आता है।

महिलाओ का पारिवारिक उत्पीड़न एक गम्भीर सामाजिक समस्या है उपरोक्त संस्थाओ के प्रयासो से ही महिला अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिये सरकार द्वारा अनेक कानून बनाये गये इस ज्वलन्त समस्या के समाधान के लिये सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किये जा रहे है। सरकार द्वारा अनेक कानून बनाये गये है जिनमें बदलती परिस्थितियो मे समय–समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए है। इसमें कुछ कमियां उभर कर सामने आयी जिससे इस अधिनियम में संशोधन किये गये।

पं0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया। इस महत्वपूर्ण अधिनियम द्वारा दहेज प्रभाव पर रोक लगाने की कोशिश पहली बार कानून द्वारा की गई थी। परन्तु समय–समय पर इसमें कुछ कमियां उभर कर सामने आयीं। जिससे इस अधिनियम में संशोधन किये गये। परन्तु जब उक्त अधिनियम द्वारा उद्वेश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी तब 1986 में इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें दहेज लेने या दहेज देने वाले को पाच वर्ष की सजा तथा 1500 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। इसकी धारा 44 में यदि कोई पक्ष दहेज मांगता है तो उसे 6 माह इसके अतिरिक्त यदि महिला के साथ निम्न व्यवहार किया जाता है तो हिंसा की श्रेणी में आता है।

1. शारीरिक हिंसा–मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दाँत से काटना, लात मारना, मुक्का मारना, धक्का देना, धकेलना, किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा पहुँचाना या क्षति पहुँचाना।

2. लैंगिक हिंसा–ब्लात लैंगिग मैथुन, अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को दिखाने के लिये मजबूर करना, दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का आचरण, बालको के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार।

3. मौखिक और भावनात्मक हिंसा–अपमान करना, गलियां देना, चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण, पुरूष सन्तान न होने पर अपमान करना, दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना, आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में जाने से रोकना, आपको नौकरी से निवारित करना, आपको नौकरी छोड़ने के लिये मजबूर करना, आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को घर से चले जाने से रोकना, घटनाओं के सामान्य क्रम में आपको किसी व्यक्ति से निवारित करना, जब आप विवाह नहीं करना चाहती हों तो

विवाह करने के लिये आपको मजबूर करना, आपको अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना, अपनी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिये मजबूर करना, आत्महत्या करने की धमकी देना, अन्य कोई मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार करना।

4. आर्थिक हिंसा – आपको या बच्चों को अनुरक्षण के लिये धन उपलब्ध न कराना, आपके या बच्चो के लिये खाना, कपड़े और दवाइयां इत्यादि उपलब्ध न कराना, आपको आपका रोजगार चलाने से रोकना, आपको किसी रोजगार को करने को अनुज्ञात न करना, आपको आपके रोजगार करने मे विध्न डालना, आपका वेतन पारिश्रमिक इत्यादि से आय को लेना या, आपका वेतन पारिश्रमिक उपभोग करने का अनुज्ञात न करना, जिस घर मे आप रह रही है, उससे बाहर निकलने को मजबूर करना, घर के किसी भाग मे जाने या उपभोग व्यक्ति व्यक्तियों द्वारा जिस के साथ एक ही घर में रह रही है या थी आपके विरूद्ध घरेलू हिंसा की जाती है तो आप उसके विरूद्व निम्नालिखित सभी या कोई एक आदेश प्राप्त कर सकती हैं।

क–धारा 18 के अधीन–

1. आपके या आपके बालको के विरूद्व घरेलू हिंसा का किसी और कार्य को करने से रोकने के लिये।
2. आपको स्त्रीधन, आभूषण कपड़ों इत्यादि का कब्जा देने के लिये।
3. न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैक खातों या लॉकरो का प्रचलन न करने के लिये।

ख–धारा 19 के अधीन–

1. आपको उस घर में शान्तिपूर्ण निवास करने से रोकने के लिये जहां आप उस व्यक्ति या व्यक्तिों के साथ रह रहे है।
2. आपके शान्तिपूर्ण निवास में व्यवधान डालने के लिये।
3. जिस घर में आप रह रही है उसका विक्रय न करने के लिये।
4. यदि आपका निवास किराये पर है जो किराये के संदाय को सुनिश्चित करने के लिये या ऐसी किसी समुचित वैकल्पिक निवास की व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिये जो आपको वैसी ही सुरक्षा सुविधाएं दे जो आपके निवास में न थी।
5. न्यायालय की अनुज्ञा के बिना उस सम्पत्ति के अधिकार नहीं देने के लिये जिसके आप रह रही है।
6. जिस घर या सम्पत्ति में आप रह रही है पर कोई ऋण नही लने के लिये या सम्पत्ति को अर्न्तविलित करते हुए बन्धक या कोई अन्य वित्तीय सृजन न करने के लिये यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार है तो आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे जो आगे वर्णित है।

भारत सरकार (G.O.I.) की घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधि के अन्तर्गत घरेलू हिंसा को मानवाधिकार, विवाद और विकास के प्रति गम्भीर व्यवधान माना गया है। वियना समझौता (1994) और बीजिंग घोषणा तथा एक्शन मंच ने भी इसे स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदीकरण के उन्मूलन पर समिति (C.E.D.A.W.) ने अपनी सामान्य सिफारिश संख्या 12 (1989) में यह अनुशंसा की है कि राज्य की पार्टियों को किसी प्रकार की हिंसा विशेष रूप से परिवार के भीतर होने वाली हिंसा के विरूद्ध महिलाओं का संरक्षण करने के लिये कार्य करना चाहिये।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006:–

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित नये कानून में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पत्नी को पीटने जैसी समस्याा से मिजाद पाने के लिये पति की गिरफ्तारी ही महज काफी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में जिसके साथ उसी घर में पीड़िता रहती है उसको पीटा जाता है, धमकी दी जाती है, तथा वह घरेलू हिंसा की शिकार है, घरेलू हिंसा से महिला सरंक्षण अधिनियम 2006 घरेलू हिंसा के विरूद्व संरक्षण और सहायता का अधिकार देता है। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों में घरेलू हिंसा की शिकार महिला को निम्नलिखित अन्य अधिकार भी दिये है–

- धारा–5 के अधीन अपने अधिकारों को जानने और दुःख से मुक्ति के लिये वह संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता ले सकती है।
- विशिष्ट खतरों या असुरक्षा जिनका वह या उसके बच्चे सामना कर रहे हैं, से संरक्षण के लिये उपाय और आदेश प्राप्त करने का अधिकार।

- धारा 19 के अधीन उस घर में रहने जहॉ वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसी घर से रहने वाले अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप में अवरोध करने और घर तथा उसमें निहित सुविधाओं का शान्तिपूर्वक उपयोग करने का उसका आरै उसके बच्चों का अधिकार।
- धारा 18 के अधीन पीड़ित के स्त्री धन, आभूषण कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य घरेलू चीजों को वापस कब्जे में लेना।
- धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आक्षय, परामर्श और कानूनी सहायता प्राप्त करना।
- धारा 18 के अधीन पीड़ित के विरूद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को उससे सम्पर्क करने या पत्र व्यवहार करने से रोकने का अधिकार।
- धारा 22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी शारीरिक या मानसिक क्षति या किसी अन्य धनीय नुकसान के लिये कर फाइन लेने का अधिकार।
- अधिनियम की धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही मद्द के लिये आवेदन करना।
- पीड़ित के द्वारा की गयी शिकायत, आवेदनों, किसी चिकित्सा या अन्य परीक्षण की रिपोर्ट जो वह या उसके बच्चे करवाते हैं, की प्रतियॉ प्राप्त करना।
- किसी खतरे से बचाव के लिये पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेने का अधिकार।

निष्कर्ष :

पहले महिलाओं का घर में ही पूरा जीवन लगा देने का भी कारण था बच्चों का अधिक होना, संयुक्त परिवार का होना, पुरूष वर्ग का शासन और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना। आज महिलायें अपने परिवार को सीमित रखकर अपने घर परिवार के लिये अधिकतम सुविधाएं जुटाने के लिये कृतसंकल्प लगती है जिसकी वजह से नौकरी की तलाश में बाहर निकल रही है। जाने–माने समाजशास्त्री एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार पिछले दशक में मध्यम वर्ग के विस्तार और एकल परिवारों के बढ़ने से इस 'नई भारतीय' नारी का अविर्भाव हुआ है और इस बदलाव का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण आज की घरेलू महिला घर से बाहर आकर घर–परिवार की जरूरतों परम्परागत मान्यताओं और सामाजिक प्रतिबन्धों से कड़ा मुकाबला कर रही है और पुरानी पीढ़ी की रूढ़ियों को तोड़ कर आगे आने में उसे खुशी का अहसास हो रहा है।

आधुनिकता को देखते हुए स्त्री उत्पीड़न की स्थिति में जो बदलाव आ रहा है उसमें मीडिया का आकाशीय हमला उस पर आग में घी का काम कर रहा है। टेलीविजन, धारावाहिकों में बदलते भारतीय परिवार का जो रूप दिखाया जा रहा है, उसमें यदि हत्याऐं, आत्महत्यायें, तलाक, अलगाव, हिंसा–प्रतिहिंसा, यौन हिंसा और छोटी–छोटी बच्चियों तक से बलात्कार की, बाल–वेश्यावृति तक की बढ़ती घटनाऐं समाज में त्रासदी बन कथित आधुनिकता पर ही प्रश्नचिन्ह अंकित करें तो उसमें आश्चर्य क्यों?

आज के युग में यह प्रश्न सहसा ही सामने आता है कि महिलायें घर से बाहर क्यों आ रही है। घर से बाहर आना एक सहज एवं स्वाभावित क्रिया हो सकती है, परन्तु दहलीज लांघना एक साहस किया गया उपक्रम है। इसमें साहस के साथ–साथ विभिन्न परम्परागत बंधनों एवं तथाकथित मर्यादाओं से मुक्ति ही दहलीज लांघना है। दहलीज लांघना एक संकल्प–विकल्प की स्थिति का प्रतीक है। वह द्वंदात्मक स्थिति एक निश्चित साहस की अपेक्षा रखती है।

संदर्भ सूची :–

[1] बोरलैण्ड, मैरी : वायलेन्स इन दी फैमिली, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस, 1976

[2] बौल्बी, बी : जनरल ऑफ सोसल इशूज, भाल्यूमे 44 नं0 3, 1988

[3] भारतीय समाज एंव संस्कृति : डॉ0 रवीन्द्र कुमार मुखर्जी

[4] श्री निवास, एम0एन0 : सोशल चेंज इन माडर्न इंडिया।

[5] गेल्स, आर0जे0 : इन्टीमेट वायोलेन्स इन फैमिलीज, "सेज पब्लिकेशन्स, बेभर्ली, हिल्स, 1985

[6] गुडे, एम0जे0 एंड हट : मेथड्स इन सोसल रिसर्च गीलीन, जे0एल0 : क्रिमिनोलोजी एंड पेनोलोजी, जोनाथन केप, लंदन, 1945 हिन्दुस्तान टाइम्स, दिसम्बर, 12, 2004

[7] इंडिया टुडे, न्यू दिल्ली मार्च, 15, 2003

[8] लियोनार्ड, ई0बी0 : वूमेन, क्राइम एंड सोसाइटी, लौंगमैन, न्यूयार्क, 1982

[9] पांडेय रेखा : वूमेन फ्रोम सब्जेक्सन टू लिबरेशन, दिल्ली मित्तल पब्लिकेशन्स, 1988

[10] शर्मा, बी0 आर0 : क्राइम एंड वूमेन : ए साइको डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ फीमेल क्रिमिनलटी आई0आई0पी0ए0 न्यू दिल्ली, 1990